कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक–शिविरा/मा/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक–22.02.2018 संयुक्त शासन सचिव,प्राशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग,राज. जयपुर के पत्रांक–प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक–08.02.2018,निदेशक महोदय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक–25.02.2018 एंव दिनांक–28.02.2018 राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम –1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों से "कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013" में चयनित सूची मे से निम्नांकित अशार्थीयों को इस जिले के सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इनकी नियुक्ति इनके नाम के सम्मुख वर्णित पद एंव पदस्थापन स्थान राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक–7(2)डीओपी/ए–11/06 दिनांक–20.01.2006 एंव वित्त (नियम डिवीजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांकः एफ–15(1) एफडी/रूल्स/2017 के शैडयूल–IV के प्रावधानुसार 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– पर की जाती है।

(सलग्न आदेश संख्या–01)

कार्यालय अध्यक्ष इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व इनके सभी दस्तावेजों की जॉच कर लें तथा नियुक्ति से पूर्व व नियुक्ति के पश्चात की जाने वाली समस्त शर्तों की पूर्ति अपने स्तर पर कराकर ही इन्हें **नियुक्ति स्थान पर दिनांक 23.03.2018** तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। कार्यग्रहण की सूचना एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियां इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

कार्यालय अध्यक्ष आशार्थी से निम्न तथ्यों की जॉच/अभिलेख प्राप्त कर स्वयं की संतुष्टि के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें।

1. राज्य सरकार के राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में कनि0सहायक के पद पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदक की शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र की पूर्ण जॉच कर लें।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक/क–2/(95) दिनांक – 08/04/03 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक –01/06/2002 को या उसके प्रश्चात **दो से अधिक संतान उत्पन्न** होने की स्थिति में उक्त आशार्थी **नियुक्ति के पात्र नहीं होगें** नियुक्ति के पश्चात यदि कोई भी दस्तावेज गलत पाया जाता है तो ये नियुक्ति समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता , मंहगाई (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा , सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
6. प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स पारिश्रमिक से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी। राज्य सरकार के वित विभाग के आदेश दिनांक 13/3/06 के प्रावधानानुसार दिनांक 20.01.06 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को चयनित वेतनमान देय नही होगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।
7. सदाचार(पुलिस सत्यापन) रिपोर्ट/ जन्मतिथि/शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों वैधता/ मान्यता सुनिश्चित करें तथा मूल प्रति से मिलान किया जावे तथा दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा देय चरित्र प्रमाण पत्र तथा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र प्राप्त करें। शेष शर्तें राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत ही होंगी। **पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यार्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो एसे अभ्यार्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी एसे अभ्यार्थी के विरूद्ध अमल में लायी जावेगी**

(महेन्द्र कुमार यादव)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, धौलपुर

क्रमांक : जिशिअ/मा0/धौ/संस्था–1/कनि.सहा./फा–सीधी भर्ती 13/826   दिनांक 8-3-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,प्रशासनिक सुधार (ग्रुप –3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. श्रीमान उपशासन सचिव महोदय कार्मिक (क–2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
4. श्रीमान शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक भरतपुर संभाग भरतपुर
5. प्रधानाचार्य/प्र0अ0..को नियुक्ति आदेश की प्रति के साथ मूल आवेदन देकर निर्देशित किया जाता है कि मूल आवेदन को सम्बन्धित की निजि पत्रावली में संधारित किया जावे।
6. संबंधित श्री ....
7. निजी/रक्षित पत्रावली

(प्रेमिला श्रीवास्तव)
अति0 जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, धौलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

आदेश संख्या–01

क्रसं	मेरिट न0	नाम अभ्यार्थी	जन्म तिथि	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	पिता का नाम	अवेदन में उल्लेखित गृह जिला	पदस्थापन सीन(रामावि / राबामावि / राउमावि / राबाउमावि)	जिला धौलपुर
1	4597	RVINDRA KUMAR	01/01/1996	SC	SCM	RMESH CHANDRA	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL DUWATI DHOLPUR	DHOLPUR
2	5150	PRITI MITTAL	20/08/1990	GE,WE	GENF	RAMESHWAR DAYAL MITTAL	DHOLPUR	GOVT.SEC.SCHOOL PARAUA SAIPAU	DHOLPUR
3	5245	RAJESH SINGH JATAV	10/05/1991	SC	SCM	SHIVCHARAN	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL CHANDRAWALI,BASERI	DHOLPUR
4	5335	DUSHYANT KUMAR	08/12/1994	SC	SCM	MAHAVEER	DHOLPUR	GOVT.SEC.SCHOOL BOTHPURA.DHOLPUR	DHOLPUR
5	5570	NEELAM CHAUHAN	10/10/1988	GE,WE	GENF	GAJENDRA SINGH CHAUHAN	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL MANIYA DHOLPUR	DHOLPUR
6	5623	NARENDRA KUMAR	10/11/1980	SC,LD	SCM	SURAJ MAL	DHOLPUR	GOVT.SEC.SCHOOL MAHARAJPURA DHOLPUR	DHOLPUR
7	5864	KULDEEP SHEKHAR	12/12/1984	SC	SCM	HARI SINGH	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BARAILPURA DHOLPUR	DHOLPUR

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक धौलपुर

कायालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक–शिविरा/मा/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक–22.02.2018 संयुक्त शासन सचिव,प्राशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग,राज. जयपुर के पत्रांक–प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक–08.02.2018,निदेशक महोदय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक–25.02.2018 एंव दिनांक–28.02.2018 राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम –1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों से "कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013" में चयनित सूची मे से निम्नांकित अशार्थीयों को इस जिले के सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इनकी नियुक्ति इनके नाम के सम्मुख वर्णित पद एंव पदस्थापन स्थान राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक–7(2)डीओपी/ए–11/06 दिनांक–20.01.2006 एंव वित्त (नियम डिवीजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांकः एफ–15(1) एफडी/रूल्स/2017 के शैडयूल–IV के प्रावधानुसार 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– पर की जाती है। एसबीसी वर्ग अस्थाई रूप से चयनित अभ्यार्थीयों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यार्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एंव अन्य बनाम कैपटन गुरूवेन्द्र सिंह एंव अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक–09.05.2017 के अध्याधीन रहेंगे। उक्त नियुक्ति आदेश पूर्णतः अस्थायी माना जावेगा। **(सलग्न आदेश संख्या–02)**

कार्यालय अध्यक्ष इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व इनके सभी दस्तावेजों की जॉच कर लें तथा नियुक्ति से पूर्व व नियुक्ति के पश्चात की जाने वाली समस्त शर्तों की पूर्ति अपने स्तर पर कराकर ही इन्हें **नियुक्ति स्थान पर दिनांक 23.03.2018** तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। कार्यग्रहण की सूचना एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियां इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

कार्यालय अध्यक्ष आशार्थी से निम्न तथ्यों की जॉच/अभिलेख प्राप्त कर स्वयं की संतुष्टि के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें।

1. राज्य सरकार के राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में कनि0सहायक के पद पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदक की शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र की पूर्ण जॉच कर लें।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक/क–2/(95) दिनांक – 08/04/03 के प्रावधानार्न्तगत दिनांक –01/06/2002 को या उसके प्रश्चात **दो से अधिक संतान उत्पन्न** होने की स्थिति में उक्त आशार्थी **नियुक्ति के पात्र नहीं होगें** नियुक्ति के पश्चात यदि कोई भी दस्तावेज गलत पाया जाता है तो ये नियुक्ति समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता , मंहगाई (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा , सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
6. प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स पारिश्रमिक से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी। राज्य सरकार के वित विभाग के आदेश दिनांक 13/3/06 के प्रावधानानुसार दिनांक 20.01.06 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को चयनित वेतनमान देय नही होगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।
7. सदाचार(पुलिस सत्यापन) रिपोर्ट/ जन्मतिथि/शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों वैधता/ मान्यता सुनिश्चित करें तथा मूल प्रति से मिलान किया जावे तथा दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा देय चरित्र प्रमाण पत्र तथा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र प्राप्त करें। शेष शर्तें राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत ही होंगी। **पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यार्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो एसे अभ्यार्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी एसे अभ्यार्थी के विरुद्ध अमल में लायी जावेगी**

(महेन्द्र कुमार यादव)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, धौलपुर

क्रमांक : जिशिअ/मा0/धौ/संस्था–1/कनि.सहा./फा–सीधी भर्ती 13/827
दिनांक 8.3.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,प्रशासनिक सुधार (ग्रुप –3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. श्रीमान उपशासन सचिव महोदय कार्मिक (क–2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
4. श्रीमान शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक भरतपुर संभाग भरतपुर
5. प्रधानाचार्य/प्र0अ0.............................को नियुक्ति आदेश की प्रति के साथ मूल आवेदन देकर निर्देशित किया जाता है कि मूल आवेदन को सम्बन्धित की निजि पत्रावली में संधारित किया जावे।
6. संबंधित श्री ....
7. निजी/रक्षित पत्रावली

(प्रेमिला श्रीवास्तव)
अति0 जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, धौलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

आदेश संख्या–02

क्रसं	मेरिट न0	नाम अभ्यार्थी	जन्म तिथि	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	पिता का नाम	अवेदन में उल्लेखित गृह जिला	पदस्थापन सीान(रामावि / राबामावि / राउमावि / राबाउमावि)	जिला धौलपुर
1	0	MUKESH KUMAR	08/07/1993	SB		PANCHAM SINGH	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL TONTARI BARI	DHOLPUR

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक धौलपुर